न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :— 39 / 19—20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा — 46)

मंगल मुण्डा — विक्रेता

नारायण संगा — क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
16.09.19	(see below)	

16.09.19

आदेश

आवेदक मंगल मुण्डा पिता स्व0 दशा मुण्डा ग्राम–कटमकुकू, पोस्ट–लोधमा, थाना कर्रा, जिला खूँटी ने नारायण संगा पिता श्री अजू राम संगा ग्राम–कुर्से, थाना कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकवा (एकड़ में)
काटमकुकू	158	03	109	0.12½

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए खतियान/आवासीय प्रमाणपत्र/जाति प्रमाणपत्र एवं लगान की रसीद सं0 0800218205 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 682 दिनांक 08.07.19 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जॉच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम फौदा मुन्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार सामु मुण्डा वगैराह के नाम भूमि का रकवा 22.70.76 एकड है। आवेदक के पास कुल रकवा 7.90 एकड भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018—19 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 20608.00(बीस हजार छः सौ आठ)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय मे आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नही है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 3.27 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना कर्रा के निवासी हैं एव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, कर्रा ने क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, कर्रा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण मंगल मुण्डा पिता स्व0 दशा मुण्डा को नारायण संगा पिता श्री अजू राम संगा के साथ ग्राम काटमकुकू के खाता सं0 03 खेसरा संख्या 109 का रकबा 0.12½ एकड भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 20608.00(बीस हजार छः सौ आठ)रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

16/09/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

16/09/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।